उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी

यूपीडा

सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592 / 4108184, फैक्सः 0522–2301142,
इमेलupeida2@gmail.com

पत्रांक 7719 **/यूपीडा/1068(वन)** **दिनांक** 16 **दिसम्बर, 2021**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सुलतानपुर वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

विषयः–जनपद सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किमी0 सं0 121+870 पर क्रॉस कर रहे एन0एच0 330 प्रयागराज–अयोध्या राजमार्ग पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु एक्सप्रेसवे के लूप के प्रवेश/निकास पर फ्लाई ओवर/वायाडक्ट के निर्माण हेतु आवागमन से प्रभावित 4.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 701 वृक्षों/पौधों के पातन/ट्रांसप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/05/243/2021/एफ0सी0/557 दिनांक 02.12.2021 एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्रांक 1693/11–सी–**FP/UP/ROAD/144211/2021** दिनांक 03.12.2021 ।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा लगाये गये ई0डी0एस0 का उत्तर निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र0सं0	**ई0डी0एस0**	**उत्तर**
1.	पूर्व में ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 **FP/UP/ROAD/28804/2017** को इस कार्यालय के समसमयक पत्र दिनांक 09.03.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुपालना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह प्रतीत होता है कि उक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं एक्सप्रेसवे वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। यह वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार FCA guidelines के अनुरूप कार्यवाही करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करें।	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव संख्या **FP/UP/ROAD/28804/2017** की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.03.2018 को प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित सभी शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के पत्र संख्या 3040/11–सी– **FP / UP / ROAD / 28804/2017** दिनांक 05.05.2018 **(संलग्नक–1)** के द्वारा प्रमुख सचिव, वन, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने प्रेषित अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति अपने पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/01/2018/एफ0सी0/462 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा निर्गत की है **(संलग्नक–2)**। इस प्रकार यूज़र एजेन्सी के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः वस्तुस्थिति से भारत सरकार को अवगत कराने का कष्ट करें।

	जिसके पश्चात ही उक्त प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जा सकेगी क्योकि उक्त प्रकरण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही सम्बन्धित है।	ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/ROAD/144211/2021** एक नवीन फॉरेस्ट क्लीयरेन्स सम्बन्धी प्रस्ताव है। अतः इस प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार से निर्गत करने की प्रार्थना की जाती है। इस प्रस्ताव पर निर्गत किये जाने वाले सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(बिश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ।
5. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, अयोध्या।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(188)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक- 2740/11-सी-FP/UP/Road/28804/2017, लखनऊ: दिनांक मई 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषयः- लखनऊ से गाजीपुर (वाया आजमगढ़) पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 है0 आरक्षित एवं 8.4165 है0 संरक्षित अर्थात कुल 17.5714 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/01/2018/एफसी/864, दिनांक 09.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आँख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद ने अपने पत्रांक-4229/14-10, दिनांक 26.04.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या की दो मूल प्रतियां संलग्नक सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया बिन्दुवार अनुपालन आख्या की एक मूलप्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), अलीगंज, लखनऊ को सन्दर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 2749/11-सी- FP/UP/Road/28804/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, फैजाबाद, आजमगढ़ एवं वाराणसी।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ एवं गाजीपुर।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा), उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक – 5871 दि0- 22-10-2018

(311)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/01/2018/एफ.सी./462 दिनॉंक: 12.10.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/28804/2017

विषयः लखनऊ से गाजीपुर (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ–: विशेष सचिव, उ0 प्र0 का पत्रांक– 3181/14–2–2018–800(143)/2017, दिनांक–28.09.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–3063/14–2–2017–800(143)2017, दिनांक–03.01.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉंगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–09.03.2018 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं पत्र दिनांक 20.04.2018 द्वारा संशोधन जारी की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार लखनऊ से गाजीपुर (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 5439 वृक्षों एवं 22503 पौधों अर्थात् कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि सापेक्ष उपलब्ध कराई गई कुल 19.4944 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
3. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
4. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
5. [illegible]

6. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी०जी०पी०एस० निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

10. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

भवदीय,

(के०के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ एवं वाराणसी, उ० प्र०।
5. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा) उ० प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली।

12-10-18

(के०के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 832 /11–सी–FP/UP/Road/28804/2017, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 16 ,2018

प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, लखनऊ को सैद्धान्तिक स्वीकृति की एक प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विषयगत प्रकरण में विज्ञप्ति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं वन संरक्षक, फैजाबाद, आजमगढ़ एवं वाराणसी तथा प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ एवं गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा), उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/10

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।